रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 388] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVIN 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उदयोग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

सा० का० नि० 760(अ). — केन्द्रीय सरकार, खादी ग्राम उद्योग आयोग नियम, 1957 के नियम 3 के साथ पठित खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में एक अक्तूबर, 1983 को प्रारम्भ होकर तथा 30 सितम्बर, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये नियुक्त करती है।

1. श्री ए०एम० थॉमस

2. श्री गोविन्द दास रिछारिया

3. श्री जगपत दूबे

2. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उपर्युक्त अवधि के लिये श्री ए० एम० थॉमस एवं श्री गोविन्द दास रिछारिया को उक्त आयोग का क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी नियुक्त करती है।

[सं० 13(3)/83-के०वी०आई०(I)]
सू० बी० जैन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1983

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 3 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Khadi and Village Industries Commission, established under sub-section (1) of section 4 of the said Act for a period of three years commencing on and from 1st October, 1983 and ending on the 30th September, 1986.

1. Shri A. N. Thomas
2. Shri Govind Das Richhariya
3. Shri Jagpat Dubey.

2. The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 4 of the said Act also appoints Shri A.M. Thomas as Chairman and Shri Govind Das Richhariya as Vice-Chairman of the said Commission for the aforesaid period.

[No. 13(3)|83-KVI(I)]
S. B. JAIN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983